तत्काल

क्रमांक 1–ए0 यू0–72/18920

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।

दिनांक चण्डीगढ़ 23 जून, 1972

विषय: जिला स्तर के कार्यालयों में विलम्ब को रोकने के लिए दो एसैस्मैंट यूनिट्स की स्थापना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला स्तर के कार्यालयों में काम के निपटारे में जो विलम्ब होता है उसको दूर करने का प्रश्न सरकार के पास काफी समय से विचाराधीन है । यह देखने के लिए कि विलम्ब किस स्तर पर होता है सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दो यूनिट बनाये जायें जिनके इंचार्ज सिविल सचिवालय के अधीक्षक हों । यह यूनिट उन सभी केसों की जो 6 महीने की अवधि से पैंडिंग या जिन पर कार्यवाही समाप्त हो चुकी है इस उद्देश्य से जांच करेंगे कि किस स्टेज पर और कितनी देरी हुई है । उन केसों में जहां अनावश्यक देरी हुई है यह यूनिट Punishing Authority को सम्बन्धित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए लिखेंगे । Punishing Authority इन रिपोर्टों पर जितनी जल्दी हो सके कार्यवाही करेगी और जिन केसों में Punishing Authority के स्तर पर उचित कार्यवाही करने में अनावश्यक देरी होगी, वह केस मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में लाये जायेंगे ।

आपसे प्रार्थना है कि आप जिला स्तर के कार्यालयों को मुनासिब हिदायत दें ताकि वे इन यूनिट्स को जब कभी भी उनके दफ्तर में जायेंगे तो उनको पूर्ण सहयोग दें । उपायुक्त के सामान्य सहायक को भी कहा जाये कि वह इन यूनिटों को जब कभी दफ्तरों के निरीक्षण के लिए जायें उनके लिए रैस्ट हाऊसों का आरक्षण तथा चपरासी आदि के लिए पूरी सहायता करें ।

भवदीय,

हस्ता0/—

बी0 आर0 महतानी,

अवर सचिव (रक्षा)

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।